भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3227

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य आयात पर एफएसएसएआई और सीमा-शुल्क की भूमिका

† 3227. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के अंतर्गत प्रवेश के विभिन्न बिन्दुओं (पीओई) पर सीमा-शुल्क अधिकारियों को खाद्य आयात निरीक्षण दायित्व प्रत्यायोजित करने के निहितार्थों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत दस वर्षों के दौरान किए गए ऐसे किसी आकलन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है जिसमें सीमा-शुल्क अधिकारियों की क्षमता संपरीक्षा अथवा कार्य-निष्पादन मूल्यांकन शामिल हैं;

(ग) क्या इस प्रतिनिधिमंडल ने खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन की गुणवत्ता और निरंतरता को विशेषकर मसालों और खाद्य तेलों जैसे उच्च जोखिम वाले आयातों की स्क्रीनिंग पर प्रभाव डाला है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा एफएसएसएआई और सीमा-शुल्क के बीच समन्वय बढ़ाने, अधिकारियों के प्रशिक्षण को सुदृढ़ करनेऔर भूमि और बंदरगाहों के माध्यम से आने वाले खाद्य प्रेषणों की स्वतंत्र, विज्ञान आधारित स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सीमा शुल्क अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (आयात), विनियम, 2017 में उल्लिखित निरीक्षण प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी (एओ) के रूप में अधिसूचित किया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, दस्तावेजों की जाँच और दृश्य निरीक्षण, एओ के रूप में अधिसूचित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा की जाती है और आयातित नमूनों का प्रयोगशाला परीक्षण एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। आयातित उत्पादों के सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का निर्धारण केवल एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला के

माध्यम से ही किया जाता है। एओ के रूप में अधिसूचित एफएसएसएआई अधिकारियों द्वारा भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(ग): एफएसएसएआई के दिनांक 11 जनवरी, 2023 के नोटिस के अनुसार, एफएसएसएआई द्वारा चिन्हित उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों को केवल उन्हीं प्रवेश बिंदुओं (पीओई) से आयात करने की अनुमति है जहाँ एफएसएसएआई अधिकारियों को सीधे 'एओ' के रूप में अधिसूचित किया गया हो। इसके अलावा, एफएसएसएआई द्वारा एओ के रूप में अधिसूचित सीमा शुल्क अधिकारी दस्तावेजों की जाँच और दृश्य निरीक्षण करते हैं और नमूनों का परीक्षण केवल एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला द्वारा ही किया जाता है।

(घ): एफएसएसएआई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित सीमा शुल्क अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रमुख नियामक आवश्यकता और आयातित खाद्य खेपों की निकासी के संबंध में बनाए गए विनियमों पर ऑनलाइन और क्लास रूम दोनों प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। एफएसएसएआई ने प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित सीमा शुल्क अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन स्व-प्रशिक्षण मॉड्यूल, यानी प्राधिकृत सीमा शुल्क अधिकारियों का खाद्य आयात निकासी प्रशिक्षण (एफआईसीटीएसी) भी विकसित किया है।

****